

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 29/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/149

अनवान

1. लक्ष्मीदेवी पत्नि रंगलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. शांतादेवी पत्नि रमेशचन्द्र सोमानी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रमेशचन्द्र पुत्र जीवनराम सोमानी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. केसरामल पुत्र गणेशराम महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दिनेश कुमार पुत्र पारसमल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. प्रवीण कुमार पुत्र पारसमल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नन्दादास पुत्र घीसादास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बगतावर पुत्र रूघनाथ महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बंसतकुमार पुत्र हीरालाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुरेशचन्द्र पुत्र हीरालाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मदनलाल पुत्र छोगालाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गीता पत्नि बद्रीलाल जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. शांतीदेवी पत्नि रामलाल जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सोहनलाल पुत्र रत्ता रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. देवीलाल पुत्र गुलाब रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगद्दी करने बाबत)

उपस्थित


1. हरिश चन्द टेलर - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 6, 8 लगायत 13 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:- 4/12/25

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आवादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे,





सहायक कमिश्नर
(रायपुर तहसील, भीलवाड़ा)

काश्त की आराजी संख्या 3413 रकबा 2.06 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 857 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल मय नक्शा ट्रेस संवत 2075 से 2078 की पेश की है।

2. प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तवा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने वावत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरवार टालमवाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 28.05.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।
3. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलव किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 6, 8 लगायत 13 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 11.11.2025 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 3, 7, 14 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं विपक्षी संख्या 15 औपचारिक पक्षकार है।
4. प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3413 रकबा 2.06 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 857 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।
5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3413 रकबा 2.06 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 857 पर दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2075-2078 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीया संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीया हकदार प्रतीत होते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।




पञ्चायत कलेक्टर
(रा.डी.ओ.) रायपुर

::- आदेश -::

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के वैरुन हल्का आवादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3413 रकवा 2.06 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 857 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।



(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला, भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 4/12/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला, भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 29/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/149

अनवान

1. लक्ष्मीदेवी पत्नि रंगलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. शांतादेवी पत्नि रमेशचन्द्र सोमानी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रमेशचन्द्र पुत्र जीवनराम सोमानी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. केसरीमल पुत्र गणेशराम महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दिनेश कुमार पुत्र पारसमल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. प्रवीण कुमार पुत्र पारसमल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नन्दादास पुत्र घीसादास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बगतावर पुत्र रुघनाथ महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बंसतकुमार पुत्र हीरालाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुरेशचन्द्र पुत्र हीरालाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मदनलाल पुत्र छोगालाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गीता पत्नि बद्रीलाल जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. शांतीदेवी पत्नि रामलाल जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सोहनलाल पुत्र रत्ता रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. देवीलाल पुत्र गुलाब रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

दिनांक:- 4/12/2025

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 4/12/25 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3413 रकबा 2.06 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 857 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए वशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नवक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 4/12/2025 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाड़ोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा